जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1412

दिनांक : 23-02-12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय भिण्ड सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एच.एस.सी, बी.सी.ए., बी.कॉम, बी.एस-सी, एम.एच. एस.सी. (फुड एण्ड न्युट्रीशन) एम.एस-सी (जन्तु विज्ञान, वनस्पति, रसायन, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस) एम.एस-सी, (माइकोबायलॉजी), एम.एस-सी, (गणित, बायोटेक) उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

संदर्भित सभी कक्षाओं/विषयों की परीक्षा संपन्न होकर कदाचित परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुके होगे दिनांक 22/03/2012 को विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। जिसमे महाविद्यालय की वस्तुस्थति स्पष्ट शब्दो में लिखी गई है और वर्तमान में निरीक्षण समिति के समान ही इस महाविद्यालय को सत्र 2010-2011 के लिए भी अस्थाई मान्यता दिनांक 07.06.2012 को जारी की गई है । छात्र हित में विश्वविद्यालय अस्थाई मान्यता दिये जाने के प्रकरण में सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुये सत्र 2011-2012 के लिये भी इसी प्रकार मान्यता प्रदान करने पर विचार कर सकता है । परन्तु समिति का अपना एकमत अभिमत है कि विगत एक वर्ष में महाविद्यालय ने पूर्व गठित समिति द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर कोई ध्यान नही दिया है। महाविद्यालय की अधोसंरचना शोचनीय अवस्था में है। इतने पाठ्यकम चलाने वाले महाविद्यालय के पुस्तकालय में बी.एड. की पुस्तके मिलाकर कुल 2634 पुस्तके है। अधोसंरचना किसी भी प्रकार से इतने सारे पाठ्यकमों को चलाने के लिए न्यायोचित नहीं हैं दिनांक 07.06.2012 को जारी अधिसूचना में लगाई गई शर्तो को महाविद्यालय ने पूरा नही किया हैं महाविद्यालय के द्वारा प्रदत्त शिक्षक उपस्थिति पत्रक पर कुछ स्पष्ट नही हो रहा है। कि यह किन तिथियों का है महाविद्यालय, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरों पर कही भी तिथि अंकित नही है दर्शाई गई 28(17) की नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति का पता नही लग रहा है और विगत एक वर्ष में इसमें कमी को पूरा करने की दिशा में किए गए प्रयत्नों का कोई साक्ष्य संलग्न नही है। महाविद्यालय द्वारा भुगतान किये जाने वाले वेतन का कोई बैंक स्टेटमेन्ट नहीं है ।

नोट :- यह समिति विश्वविद्यालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि सत्र 2012-2013 समाप्ति पर है और तार्किक तौर पर तो इस समय आगामी सत्र 2013-2014 के लिये निरीक्षण कराया जा रहा होना चाहिए। अनुरोध है कि सभी संकायों से विषय विशेषज्ञ एकत्र करके समिति बनाकर उससे 2013-2014 के लिए अनुशंसाए शीघ्र ही प्राप्त की जाऐ छात्र हित में सत्र 2011-2012 के लिए अस्थाई मान्यता देने की अनुशंसा की जाती है पूर्व में गठित निरीक्षण समिति के द्वारा लगाई गई शर्तो का संतोषजनक परिपालन महाविद्यालय के द्वारा शीघ्रतिशीघ्र किया जाए ।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,
1. प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय भिण्ड ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अति. संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वा.
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

Office :mycomputer/E/sonali/adhisuchna